संख्या-154/2024/।/2024/813269/2024/71-1002/49/2023

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनांक 04 दिसम्बर, 2024**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में 72 यू0जी0 (एम0बी0बी0एस0) सीटों की वृद्धि के सापेक्ष यू0जी0 छात्रावास के लिए फर्नीचर क्रय हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-135/2024/।/2024/765167/2024/71-1002/49/2023, दिनांक 10.10.2024 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में 72 यू0जी0 (एम0बी0बी0एस0) सीटों की वृद्धि के सापेक्ष **संलग्न विवरण** के अनुसार **फर्नीचरों** के क्रय हेतु **कुल रू0 84.992 लाख की** की धनराशि, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के निवर्तन पर एस0एन0ए0 खाते में रक्षित धनराशि में से हस्तान्तरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

2- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 10.10.2024 के प्रस्तर-3 में उल्लिखित **कुल धनराशि रू0 84.992 लाख के स्थान पर रू0 84.992 लाख (केन्द्रांश)** पढ़ा व समझा जाए।

3- उक्त शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। शासनादेश की शेष शर्ते एंव प्रतिबन्ध यथावत् रहेगी।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा।
6. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज कुमार सिंह

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।